''यश भारती सम्मान''

आवेदन पत्र 2015-16 संलग्न

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष कला तथा अन्य क्षेत्रों के विशेष प्रतिभावान विशिष्ट व्यक्तियों को, जिन्होंने संबंधित विधा में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित किये हैं तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया है, सम्मानित करने की योजना है।

इस योजना के अन्तर्गत शास्त्रीय संगीत (गायन,वादन,नृत्य), लोक संगीत (गायन,वादन,नृत्य), आधुनिक एवं परम्परागत नाट्य विधायें (नाट्य लेखन,अभिनय,निर्देशन आदि), आधुनिक एवं परम्परागत ललित कलायें (चित्रकला,मूर्तिकला आदि), फिल्म एवं दूरदर्शन तथा आकाशवाणी धारावाहिक (आलेखन,अभिनय,निर्देशन,कास्ट्यूम,सिनेमाटोग्राफी आदि) तथा साहित्य, विज्ञान, क्रीडा, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले मूर्धन्य महानुभावों को ''यश भारती सम्मान'' से नियमानुसार अलंकृत किया जायेगा।

''यश भारती सम्मान'' से अंलकृत किये जाने वाले प्रत्येक महानुभाव को रू0 11.00 लाख (रूपया ग्यारह लाख मात्र) नकद धनराशि, अंग–वस्त्र एवं ताम्रपत्र/मेमेन्टो भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

यश भारती सम्मान योजना के अन्तर्गत संस्कृति निदेशालय, नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ में अपना नामांकन दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक प्रेषित करवाने हेतु इच्छुक व्यक्ति कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान समविश्वविद्यालय, लखनऊ, निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद, निदेशक, राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ, निदेशक, राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, लखनऊ, निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ, निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ, सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ, निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ, निदेशक, कथक केन्द्र, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ, समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 तथा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ से निर्धारित प्रारूप का आवेदन–पत्र प्रारूप प्राप्त कर उसे भरते हुए उपरोक्त इंगित किसी भी कार्यालय में अपना आवेदन–पत्र जमा कर सकते हैं।

'यशभारती सम्मान' प्रारूप

1	नाम	*
2	पिता/पति का नाम	*
3	जन्मस्थल	*
4	जन्मतिथि/आयु	*
5	राष्ट्रीयता	*
6	पता 1. वर्तमान 2. स्थायी	*
7	व्यवसाय (यदि सरकारी सेवा में हैं तो पदनाम सहित उल्लेख करें)	*
8	कार्यक्षेत्र	*
9	पूर्व में प्राप्त सम्मान/पुरस्कार का विवरण	*
10	विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (200 शब्दों से अधिक न हो)	*

(नाम व हस्ताक्षर)

प.सं.-92/चार-06-13(6)/94

रीता सिन्हा
प्रमुख सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ.प्र.
लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊःदिनांक 12 जनवरी,2006

विषयः- यश भारती पुरस्कार मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1427/चार-05-13(6)/94 दिनांक 21.4.05 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यश भारती सम्मान प्रदान करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रख्यापित किये गये थे।

उक्त संदर्भित शासनादेश को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संगीत, साहित्य, क्रीड़ा, ललित कलाएं तथा अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को यश भारती सम्मान प्रदान किये जाने हेतु पूर्व प्रख्यापित मार्गदर्शक सिद्धान्त के स्थान पर अब तद्हेतु यथासंशोधित संलग्न मार्गदर्शक सिद्धान्त तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। तदनुसार कृपया उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीया,

Rita Sinha
(रीता सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-92(1)/चार-06तददिनांक

संलग्नक सहित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.समस्त मण्डलायुक्त।
2.समस्त जिलाधिकारी।
3.निदेशक, उ.प्र. राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
4.निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, उ.प्र.लखनऊ।
5.कुलपति भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ।
6.अध्यक्ष (श्री राज्यपाल) भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ।
7.सचिव,उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
8.निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
9.सचिव,राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ
10.निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र, सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद।
11.अध्यक्ष,भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, लखनऊ।
12.सचिव, कत्थक केन्द्र , लखनऊ।
13.निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
14.निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र ,लखनऊ।
15.वित्त (ई-7) अनुभाग ।
16.गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या-4/3/1/2006-सी.एक्स(1), दि. 6.1.06के संदर्भ में
17.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाते हैं एवं निर्देश देते हैं :-

1. नाम : "यश भारती सम्मान" मार्गदर्शक सिद्धान्त

2. उद्देश्य : संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कला तथा अन्य क्षेत्रों के विशेष प्रतिभावान विशिष्ट व्यक्तियों को, जिन्होंने सम्बन्धित विधा में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित किये हैं तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया है, सम्मानित करने की योजना है।

3. विधायें : "यश भारती सम्मान" निम्नलिखित विधाओं में प्रदान किया जायेगा :-
   (क) शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन, नृत्य)
   (ख) लोक संगीत (गायन, वादन, नृत्य)
   (ग) आधुनिक एवं परम्परागत नाट्य विधायें (नाट्य लेखन, अभिनय, निर्देशन आदि)
   (घ) आधुनिक एवं परम्परागत ललित कलायें (चित्रकला, मूर्तिकला आदि),कार्टूनिस्ट
   (च) फिल्म एवं दूरदर्शन तथा आकाशवाणी धारावाहिक (आलेखन, अभिनय, निर्देशन, कास्ट्यूम, सिनेमाटोग्राफी आदि) ।
   (छ) अन्य क्षेत्रों(यथा साहित्य, विज्ञान, क्रीड़ा, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले महानुभाव) , जिन्हें स्क्रीनिंग समिति सुपात्र समझे।

4. संख्या एवं राशि
   : बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित विधाओं एंव अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को "यश भारती सम्मान" से अंलकृत किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव होगा एक विधा एंव क्षेत्र से कम से कम एक महानुभाव का चयन किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी वर्ष पृथक-पृथक विधाओं में सुयोग्य महानुभावों का चयन सम्भव नहीं है तो प्रस्तर 3 में उल्लिखित विधाओं एंव अन्य क्षेत्रों में एक से अधिक का चयन किया जा सकता है। "यश भारती सम्मान" एक बार पुरस्कृत होने पर वह कलाकार इसी सम्मान के लिए दूसरी बार विचारणीय नही होगा। "यश भारती सम्मान" के अन्तर्गत चयनित/पुरस्कृत महानुभावों को रू0 5.00 लाख (रू0 पाँच लाख मात्र) नकद धनराशि, अंगवस्त्र एवं ताम्रपत्र/मेमेन्टो भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

5. अर्हताएं : "यश भारती सम्मान" प्रदान करने हेतु उक्त बिन्दु 3 व 4 के अन्तर्गत विचार हेतु सम्बंधित विधा/विधाओं एंव विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य महानुभावों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक हैं :-

(क) उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अथवा जिनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही हो।

(ख) कलाकार को उत्कृष्ट कला संबंधित विधा/क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, दीर्घसाधना और श्रेष्ठ उपलब्धि के भरसक निर्विवाद मानदण्डों के आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। परन्तु यह कि पुरस्कार व सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के चयन का आधार उनकी सम्पूर्ण उपलब्धि तथा सम्बन्धित विधा में योगदान होगा।

(ग) विशिष्ट व आपवादिक परिस्थितियों में विशिष्ट मेरिट के महानुभावों के लिए मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

नोटः- 'नैतिक अधमर्ता विषयक अपराध के आरोपी को 'यश भारती सम्मान' नहीं प्रदान किया जाएगा ।"

6. छद्म/छल से प्राप्त 'यश भारती सम्मान' धनराशि सहित वापस ले लिया जायेगा।

7. प्रक्रिया : "यश भारती सम्मान" के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से नामांकन प्राप्त किया जायगा :-

(क) प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यथा संभव जून से सितम्बर के मध्य निर्धारित तिथि तक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद लखनऊ, कथक केन्द्र लखनऊ, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्र, जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों से निर्धारित प्रारूप पर नामांकन प्राप्त किया जायेगा। अन्य बिन्दु सं.-3(छ) में सम्मिलित अन्य क्षेत्रों/विधाओं से सम्बन्धित नामांकन सम्बन्धित विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव के माध्यम से एवं मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड संगीत नृत्य ,नाट्य/फिल्म / दूरदर्शन की शिक्षण व प्रदर्शन संस्थाओं अन्य स्रोतों से प्राप्त नामांकन भी निर्धारित तिथि तक निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा स्वीकार किये जा सकते हैं। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर चयन समिति का गठन कर नाम प्रस्तावित कर सकता है।

(ख) प्रारूप में संस्तुतकर्ता द्वारा नामांकित कलाकार की विशिष्ट उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(ग) निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त समस्त

नामांकन पत्रों का विभिन्न विधा क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकरण किया जायगा। एतद्पश्चात निदेशक संस्कृति द्वारा विधावार एक-एक प्रारंभिक परीक्षण समिति गठित की जायगी जो प्रत्येक विधा से कम से कम दस व्यक्तियों का चयन करते हुए अपनी संस्तुति शासन को भेजेगी।

.. उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी :

(क) उत्तर प्रदेश के जिन कलाकारों/महानुभवों ने अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट योगदान के द्वारा राष्ट्रीय एंव अतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है उनके यश भारतीय सम्मान हेतु चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी जो निम्नवत् होगी:-

(1)मा0 संस्कृति मंत्री,उत्तर प्रदेश शासन — अध्यक्ष

(2)प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग,उ.प्र.शासन — सदस्य सचिव(पदेन)

(3)निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश — सदस्य

नोटः- अ. स्क्रीनिंग कमेटी यथावश्यक यशभारती सम्मान हेतु चयन से सम्बन्धित विधा के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर सकती है।स्क्रीनिंग कमेटीं की संस्तुतियों पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

ब. संस्कृति विभाग उ.प्र. शासन में प्रमुख सचिव एंव सचिव दोनों की पदस्थता की स्थिति में उक्त कमेटी में प्रमुख सचिव सदस्य होगें तथा सचिव सदस्य सचिव होगें ।

(ख) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक वित्तीय वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक कभी भी आयोजित की जायेगी।

(ग) सदस्य सचिव द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय से प्राप्त नामांकन एवं सूची/विवरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी बिन्दु संख्या-3में उल्लिखित विधाओं में प्राप्त नामांकनों में से मूर्धन्य कलाकारों/विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने हेतु संस्तुत नामों की सूची तैयार करेगी ।

(घ) यश भारती सम्मान मार्गदर्शक सिद्धान्तों में किसी प्राविधान के होते हुए भी मा0 मुख्यमंत्री यश भारती पुरस्कार प्रदान करने हेतु सुयोग्य महानुभावों के चयन के लिए सक्षम होंगे।

9. <u>सम्मान समारोह</u> :-

(क) सम्मान समारोह का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(ख) सम्मान समारोह की गरिमा के अनुकूल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जायेगा। समारोह के आयोजन से सम्बन्धित व्यय प्रतिवर्ष इस योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से किया जायेगा।

(ग) सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु सम्मानित विशिष्ट व्यक्तियों को आने-जाने का वायुयान या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित रेल का किराया तथा उनके 3 दिन के आवास एवं भोजन की व्यवस्था पांच सितारा/उपयुक्त होटल/विशिष्ठ,अति विशिष्ठ अतिथि गृह में की जायेगी। इससे सम्बन्धित व्यय प्रतिवर्ष इस योजना हेतु प्राविधानित धनराशि मे से किया जायेगा।

(घ) सम्मान/पुरस्कार हेतु चयनित अत्यन्त वृद्ध एवं गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा शारीरिक रूप से अक्षम होंगे, उन्हें सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु एक अनुरक्षक साथ लाने की अनुमति दी जायेगी। अनुरक्षक को आने-जाने, आवास एवं भोजन की वही सुविधायें दी जायेंगी जो बिन्दु 'घ' में सम्मानित व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेंगी।

10. स्मारिका का प्रकाशन :

"सम्मान समारोह" के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : उपरोक्त 'मार्गदर्शक सिद्धान्त' एवं निर्देश उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त बनाये गये अथवा बनाये जाने वाले विधि के उपबन्धों के आधीन होंगे।

आज्ञा से,

(रीता सिन्हा)
प्रमुख सचिव

सं.-409/चार-07-13(6)94टी.सी.-1

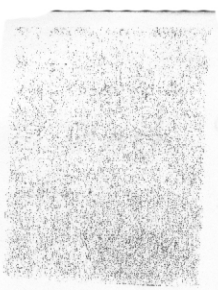

जयति चन्द्र
प्रमुख सचिव
उ.प्र.शासन।

(241)

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 9 फरवरी,2007

विषयः- शासनादेश संख्या-97/चार-06-13(6)/94टी.सी.-1 दिनांक 12.1.06 द्वारा प्रख्यापित यश भारती मार्गदर्शक सिद्धान्त में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश दिनांक 12.1.06 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-97/चार-06-13(6)/94टी.सी.-1 दिनांक 12.1.06 द्वारा प्रख्यापित "यश भरती सम्मान" मार्गदर्शक सिद्धान्त को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त के बिन्दु संख्या-8 के अन्तर्गत 8(ड.) के रूप में निम्नवत जोड़ा जाता है:-

"8(ड.)- यह सम्मान किसी भी पात्र महानुभाव को मरणोपरान्त भी दिया जा सकेगा।"

2. उक्त शासनादेश संख्या-97/चार-06-13(6)/94टी.सी.-1 दिनांक 12.1.2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,

(जयति चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-409(1)/चार-07, तद्दिनांक।

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
4. निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ।
6. अध्यक्ष (श्री राज्यपाल) भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
8. निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ।
9. सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
10. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद।
11. अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, लखनऊ।
12. सचिव, कत्थक केन्द्र, लखनऊ।
13. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
14. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ।
15. वित्त (ई-7) अनुभाग।
16. गोपन अनुभाग-1को उनके अशाप.सं.-4/2/7/2007सी.एक्स(1),दि. 6.2.07 के संदर्भ में।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0दुबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 1604 /चार–2012–13(6)/94 टी0सी0–1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
सचिव
उ0प्र0शासन।

(2)

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

विषय– ''यश भारती सम्मान'' की पुरस्कार धनराशि रू0 5.00 लाख के स्थान पर धनराशि रू0 11.00 लाख किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''यश भारती सम्मान'' मार्गदर्शक सिद्धान्त शासनादेश संख्या–97/चार–06–13(6)/94 टी0सी0–1 दिनांक 12.01.2006 द्वारा प्रख्यापित किया गया था, में शासनादेश संख्या–409/चार–07–13(6)/94 टी0सी0–1, दिनांक 09 फरवरी,2007 द्वारा कतिपय उपबन्ध जोडे गये थे , के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त के बिन्दु संख्या–4 संख्या एवं राशि में संशोधन करते हुए निम्नवत् अंश अंकित किया जाता है:–

''यश भारती सम्मान'' के अन्तर्गत चयनित /पुरस्कृत महानुभावों को धनराशि रू0 5.00 लाख (रूपये पॉच लाख मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0 11.00 लाख (रूपये ग्यारह लाख मात्र) प्रदान किया जायेगा।

उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त विषयक शासनादेश संख्या–97/चार–06–13(6)/94 टी0सी0–1 दिनांक 12.01.2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपय तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

31.10

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव।